न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— गंगाधर मीणा (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
189 / 2019	23.09.2019	7.4.22

उनवान

1. सूबेसिंह पुत्र श्री बेगराज जाति मेघवाल निवासी गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. सूरजमल पुत्र श्री बेजराज जाति मेघवाल निवासी गंगापूरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर राज0।
3. श्रीमान उप पंजियक कोटकासिम जिला अलवर राज0।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादी

वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 7.4.22

उपस्थिति :—
1— श्री योगेश कुमार, वकील वादी
2— श्री आनन्द राव, वकील प्रतिवादी

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—

1. यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 630 / 539 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है जो कि आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से जानी जावेगी।
2. यह है कि खसरा नम्बर 539 मिन जो की सिवाय चक भूमि थी जो काफी बडा नम्बर था सन् 1975 में सरकार द्वारा भूमिहीन व गरीबो को वास्ते गुजारा [illegible] से 5—5 बीघा रकबा आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया [illegible] उक्त खसरा नम्बर 539 मिन के अन्दर से [illegible] बहिस्से बराबर रकबा 5 बीघा वास्ते गुजारा आवंटन कि[illegible] था। जिसका अमल घटना कबही पटवारी हल्का में भी दर्ज [illegible] जा भी उस[illegible] मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] दिया गया था। जिस[illegible] भी आदेश दिनांक 25.09.1975 भू आवंटन पत्रावली ग्राम गंगापुरी दिनांक 25.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

09.1975 आदेश एस.डी.ओ किशनगढ–बास सूरजमल सुबेसिंह पुत्र बेगराज चमार निवासी गंगापुरी तहसील किशनगढ–बास बस्ता नम्बर 14 क्रम संख्या 73 में दर्ज है। निमानुसार पटटा भी वादी व प्रतिवादी सं0 1 के हक में जारी कर दिया गया था।

3. यह है कि उक्त अलोटमेट दिनांक 25.09.1975 से ही मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी पर बहिस्से बराबर शान्ति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर मिन वादी का विवादित आराजी के 1/2 भाग पर कब्जा काश्त है।

4. यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 जो की मिन वादी का सगा भाई है एक चालाक प्रवृत्ति का आदमी की जिसने बमिल्लत राजस्व कर्मचारियान एवं अधिकारीयान से साज बाज होकर राजस्व रिकोर्ड में उक्त विवादित आराजी का इन्तकाल संख्या 15 खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकोर्ड अपने अकेले के नाम कर लिया है। जबकी उक्त विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा के मालिक है, तथा इन्तकाल सं0 15 के उक्त गलत अमल के आधार पर जमाबन्दी संवत 2034 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम का गैर खातेदारी का अमल दरामद हो गया। तथा उक्त गलत अमल के आधार पर राजस्व रिकोर्ड ताहाल जमाबन्दीयात में खिलाफ मौका खिलाफ रिकोर्ड प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व कर्मचारियान अधिकारीयान द्वार खातेदारी का अमल दरामद कर दिया गया है कि जो गलत ऐन्ट्री लगातार राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात हाल में प्रतिवादी सं0 1 के नाम की चली आ रही है उक्त गलत अमल में राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दीयात में रहने से मिन वादी के अधिकारा पर कुठाराघाट होता है, मिन वादी के अधिकार कानुन द्वार रक्षित है। इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ वादी उक्त गलत इन्तकाल संख्या 15 जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का हो रहा है, इसलिए अपे अधिकारो की रक्षार्थ वादी अपने आपको विवादित आराजी का 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करार दिलाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम का जो खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकोर्ड इन्तकाल सं0 15 दर्ज राजस्व रिकोर्ड हो गया है को वादी 1/2 हिस्सा तक अपने अधिकारो के विरूद्ध बातिल व बेअसर करार दिलाने का अधिकारी है तथा उक्त गलत इन्तकाल के आधार पर ताहाल जमाबन्दीयात में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का अमल दरामद हो रहा है को आने हक हिस्से 1/2 भाग तक कलमजन करवा कर बाद दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड अपने नाम का ताहाल जमाबन्दीयात में खातेदारी का अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

5. यह है कि मिन वादी को राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी की आवश्यकता माह जनू सन् 2019 में हुई जिस पर मिन वादी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विवादित आराजी की जमाबन्दी प्राप्त करना चाहा तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन कर मिन वादी के नाम का राजस्व रिकोर्ड में अमल ना होकर प्रतिवादी [illegible] का खातेदरी का अमल होना बातय जिस पर [illegible] रिकोर्ड में अमल नो होकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी [illegible] अमल होना बताया जिस आराजी को दुरूस्त क[illegible]थ सम्भाग में वादी के नाम का भी खातेदारी का अमल दरामद करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी पहले

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

तो टाल बाल करता रहा लेकिन अब दिनांक 05.09.2019 को मिन वादी के नाम का खाततदारी का अमल राजस्व रिकोर्ड में आने नाम के साथ सम्भाग में दरामद करवाने से साफ इन्कार करते हुये कब्जा काश्त वादी में मजामहत मदाखलज पैदा कर वादी को आराजी से बेदखल कर खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है यदि प्रतिवादी अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन वादी को अपने कब्जा काश्त की आराजी के अधिकारो से महरूम होना पड जावेगा मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है इसलिये आने अधिकारो की रक्षार्थ वादी अपने आप को विवादित आराजी का 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करार दिलाने का अधिकारी है तथा राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबन्दीया तमे जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम का खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकार्ड खिलाफ कब्जा गलत अमल दरामद हो रहा है को 1/2 भाग तक कलमजन करवाकर अपने नाम का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के साथ 1/2 भाग का खातेदारी का अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है।

6. यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 जो कि मिन वादी का सगा भाई है एक चालाक प्रवृति का आदमी की जिसने बमिल्लत राजस्व कर्मचारीयान एवं अधिकारीयान से साज बाज होकर उक्त विवादित आराजी की समस्त की खातेदारी आने नाम बाला बाला प्रापत करते हुये राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी का अमल इन्तकाल संख्या 15 खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकोर्ड व खिलाफ कब्जा प्राप्त कर लिया है जो आदेश मिन वादी के अधिकार के खिलाफ बालि व बेअसर है। मिन वादी को राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी की आवश्यकता माह जून सन् 2019 में हुई जिस पर मिन वादी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर विवादित आराजी की जमाबन्दी प्राप्त करना चाहा तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन कर मिन वादी के नाम का राजस्व रिकोर्ड में अमल ना होकर प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी का अमल होना बताया जिस पर मिन वादी ने प्रतिवदी संख्या 1 से सम्पर्क कर विवादित आराजी को दुरूस्त करवाकर आने नाक के साथ सम्भाग में वादी के नाम भी खातेदारी का अमल दरामद करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी पहले तो टाल बाल करता रहा लेकिन अब दिनांक 05.09.2019 को मिन वादी के नाम का खातेदारी का अमल राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम के साथ सम्भाग में दरामद करसाने से साफ इन्कार करते हुये कब्जा काश्त वादी में मजाहमत मदाखलत पैदा कर वादी को आराजी से बेदखल कर खुर्द बुर्द करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दी है यदि प्रतिवादी अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन वादी को अपने कब्जा काश्त की आराजी के अधिकारो से महरूम होना पड जावेगा मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है सुविधा का सन्तुलन व ना पूर्तिनिय क्षति बहक वादी ही है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ वदी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः दावा हुक्मइम्तनाई दवामी पेश करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :–

अ– यह है कि डिक्री इज्राय इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस कदर पारित की जावे की हाल आराजी खसरा संख्या 630/539 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के 1/2 भाग का मिन वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करार दिया जावे तथा खिलाफ रिकोर्ड खिलाफ कब्जा जरिये इन्तकाल संख्या 15 वाके ग्राम गंगापुरी के 1/2 भाग तक मिन वादी के अधिकारो के विरूद्ध बातिल व बेअसर करार दिया जावे। तथा राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम का जो गलत अमल दरामद हो रहा है को 1/2 हिस्से तक कलमजन किया जाकर वाद दुरूस्ती राजस्व रिकोर्ड ताहाल जामबन्दीयात में मिन वादी के नाम का खातेदारी का अमल दरामद किया जावे।

ब– यह है कि डिक्री इज्राय हुक्म ईम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कदर पारित की जावे की हाल आराजी खसरा नम्बर 630/539 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के कब्जा काश्त वादी में मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, आराजी को जोतने बाने फसल काटने समेटने में रूकावट बाधा पैदा ना करे, राजस्व रिकोर्ड में हो रहे गलत अमल के आधार पर मिन वादी को विवादित आराजी से जब्रन बेदखल ना करे, राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी उपस्थित होकर इकबाल जबाव दावा पेश किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2071–74, प्रदर्श–2 आवंटन आदेश 25.09.1975, प्रदर्श–3 नामान्तकरण संख्या 15, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2038, प्रदर्श–5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2034, प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दी सम्वत 2040, प्रदर्श–7 नकल इन्तकाल संख्या 15, नकल इन्तकाल संख्या 101 पेश किये। जो शामिल मिसल है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी को 1/2 1/2 हिस्से के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया गया ।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादी विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को आवंटन होने की स्थिति वादी के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

अतः वाद वादी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 630/539 रकबा 5.00 बीघा वाके ग्राम गंगापुरी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 के 1/2 भाग पर वादी को खातेदार कब्जे काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी में हो रहे प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

के अंकन में से 1/2 हिस्से को हजफ कर वादी के नाम से हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी को हुक्मईम्तनाई से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 7.4.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested